

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.
राजस्व वाद पत्र संख्या- 102/2017

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि. पालड़ी सिद्धा
तहसील पीपाड़ शहर

तहसीलदार पीपाड़ शहर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 12.10.2017

वादी प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि पालड़ी सिद्धा ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट पेश किया हैं कि स्थानिय विद्यालय की जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2059 से 2062 में खाता सं. 52 में स्थित रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान पालड़ी सिद्धा आई हुई हैं । उक्त विद्यालय कमोन्नत होकर रा.उ.मा.वि पालड़ी सिद्धा हो गया है। अतः राजस्व रेकर्ड में रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान पालड़ी सिद्धा के स्थान पर रा.उ.मा.वि पालड़ी सिद्धा कराने का निवेदन किया है।

हमने राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार पीपाड़ शहर से जबाब प्राप्त किया जिन्होंने बताया कि रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान पालड़ी सिद्धा के स्थान पर रा.उ.मा.वि पालड़ी सिद्धा किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं ।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पालड़ी सिद्धा के खाता सं. 52 में अंकित रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान पालड़ी सिद्धा के स्थान पर रा.उ.मा.वि पालड़ी सिद्धा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय लोक अदालत में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

